न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील डिक्री/टीए संख्या/3083/2005/हनुमानगढ़

1- रतन पुत्र प्रसादा(मृतक) जरिये वारिसान-

1/1 फूलवती पत्नि स्व0 रतन

1/2 राजकुमार |
1/3 शैलेन्द्र | स्व0 रतन
1/4 नरेश कुमार |

समस्त जाति छीपा निवासी वार्ड नं0 19 भादरा जिला हनुमानगढ़।

1/5 मंजू पुत्री स्व0 रतन पत्नि बजरंग दास निवासी हाउस नं0 753 ए गली नं0 3 राजीव नगर हिसार हरियाणा।

1/6 संजू पुत्री स्व0 रतन पत्नि रघुवीर काजला निवासी 142 कजलान हिस्सार हरियाणा।

1/7 कमलेश पुत्रवधु स्व0 रतन पत्नि कन्हैयालाल

1/8 सुरेश कुमार पौत्र स्व0 रतन

1/9 रवि कुमार पौत्र स्व0 रतन

2- मोहनलाल पुत्र प्रसादा

3- गोपीराम पुत्र प्रसादा

समस्त जाति छीपा निवासी वार्ड नं0 19 भादरा जिला हनुमानगढ़।

4- प्रदीप पुत्र धर्माराम पुत्र प्रसादा

5- सरबती विधवा धर्माराम पुत्र प्रसादा

समस्त जाति छीपा निवासी वार्ड नं0 25 भादरा जिला हनुमानगढ़।

6- शंकरलाल पुत्र रामलाल

7- अमरसिंह पुत्र रामलाल

जाति छीपा निवासी भादरा जिला हनुमानगढ।

8- बीरबल पुत्र गोरखा मृतक जरिये उत्तराधिकारी सुभाषचंद एवं इन्दरचंद।

-अपीलांट्स

-बनाम-

1- निरंजन लाल पुत्र रामचन्द्र जाति महाजन निवासी भादरा द्वारा मुख्त्यारआम श्री कृष्ण पुत्र श्री रामचन्द्र जाति महाजन निवासी भादरा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

2- श्योनारायण पुत्र दल्लूराम जाति छीपा निवासी वार्ड नं0 21 भादरा जिला हनुमानगढ़।

3- भादराराम पुत्र दल्लूराम जाति छीपा निवासी भादरावाला साहूवाला तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

4- आशीदेवी पुत्री रूपा धर्मपत्नि रामेश्वरलाल जाति छीपा निवासी वार्ड नं0 25 नथमल जमालिया के घर के पास नोहर जिला हनुमानगढ़।

5- राजस्थान सरकार।

-रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ
श्री आर0 डी0 मीणा, सदस्य
कमला अलारिया, सदस्य

उपस्थितः-

1. श्री मनीष पाण्डिया, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री एन0 के0 गोयल, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स

-निर्णय-

दिनांकः-02-06-2025

1- अपीलांट् ने यह अपील राजस्व अपील प्राधिकरी, हनुमानगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 15-06-2005 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 की अपील को स्वीकार किया गया है व अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 5 के काऊन्टर क्लेम को खारिज किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2- संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि चक 15 जोगीवाला में मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 11 ता 14, 16 ता 18, 19 की 10 बिस्वा 20 की 19 बिस्वा, 24 की 2 बिस्वा 25 की 5 बिस्वा कुल 9 बीघा 4 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 20 की 1 बीघा, 21 की 4 बिस्वा कुल 1 बीघा 4 बिस्वा इस प्रकार कुल 10 बीघा 8 बिस्वा नहरी एवं चक नम्बर 10 में मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 11 की 13 बिस्वा, 15 की 1 बीघा, 16 की 16 बिस्वा कुल 2 बीघा 9 बिस्वा इस प्रकार दोनों चकों की कुल 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि दिनांक 01-04-1971 अलोट हुई थी जिसका कब्जा हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26-03-72 को वादी को दिया गया। चक 15 जोगीवाला के मुरब्बा नम्बर 38 व 39 के नये मुरब्बा नम्बर 41 व 42 में परिवर्तित होने के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा उक्त भूमि की सनद भी वादी के नाम दिनांक 28-02-85 को जारी कर दी। उक्त अलोटसुदा भूमि पर वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। राजस्व अधिकारियों ने उक्त अलोटशुदा भूमि में से मुरब्बा नम्बर 38 नये 41 के किला नम्बर 13-14 की 2 बीघा भूमि दौराने भू-प्रबंध प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किये जाने पर उक्त 2 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के खाते से हटाकर अपने नाम दर्ज करने की घोषणा व दुरूस्ती बाबत् रेस्पोडेन्ट्/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (राजस्व) भादरा के समक्ष वादपत्र पेश

किया गया। अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 5 द्वारा आपत्ति जाहिर करते हुए काऊन्टर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 18-06-2004 के माध्यम से रेस्पोडेन्ट्/वादी का वादपत्र खारिज करते हुए अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 5 का काऊन्टर क्लेम का स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट्/वादी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ के समक्ष अपील पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्/वादी की अपील को स्वीकार करते हुए वादी/रेस्पोडेन्ट् को चक 15 जोगीवाला मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 13, 14 कुल 2 किला कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित करते हुए उक्त दोनों किला नम्बर में से प्रतिवादी संख्या 1, 3 से 5, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 6 व 10, 11, 12 का नाम राजस्व रिकार्ड से कलमजन करने के आदेश प्रदान किये गये साथ ही अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 5 का काऊन्टर क्लेम को खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलांट्स/प्रतिवादीगण द्वारा उक्त द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है

3- अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर करते हुए रेस्पोडेन्ट्स को तलब किया एवं अधीनस्थ न्यायालयों का रिकार्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4- विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट्/वादी द्वारा वादग्रस्त भूमि चक 15 जोगीवाला मुरब्बा नम्बर 41 किला नम्बर 13, 14 कुल 2 किला कृषि भूमि के बाबत् अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (राजस्व) भादरा के समक्ष वादपत्र अन्तर्गत घोषणा बाबत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया। अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 5 द्वारा वादपत्र पर आपत्ति जाहिर करते हुए काऊन्टर क्लेम पेश करते हुए कथन किया कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर कभी भी पटवारी हल्का द्वारा कब्जा सुपुर्द नहीं किया गया। न ही उक्त भूमि के बाबत सनद एवं पासबुक जारी करने का अधिकार किसी भी अधिकारी को नहीं है। मुरब्बा नम्बर 38 के नये मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 13 व 14 पर कदीमी प्रतिवादीगण की खातेदारी थी। पटवारी को मुरब्बा नम्बर 38 का नया 41 दर्ज करने का अधिकार नहीं था। मिसल बन्दोबस्त में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी दर्ज रिकार्ड है। जिला कलेक्टर द्वारा उपरोक्त तथ्यों की जांच किये बिना वादग्रस्त भूमि के बाबत् सनद् जारी कर दी गई। मुरब्बा नम्बर तब्दीली के भी कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादपत्र/जवाबदावा व काऊण्टर क्लेम के आधार पर 2 तनकीयात् कायम की गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध

दस्तावेजों के आधार पर तनकीवार निर्णय पारित करते हुए अपीलांट्स/प्रतिवादी संख्या 1 व 3 से 5 द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम को निर्णय व डिक्री दिनांक 18-06-2004 के माध्यम से स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट का दावा खारिज करने में किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट/वादी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील पेश किये जाने पर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 15-06-2005 को पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट्/वादी की अपील को स्वीकार करते हुए अपीलांट्/प्रतिवादी का काऊन्टर क्लेम खारिज करने में विधि एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की गई। अतः अपीलांट्स की अपील स्वीकार की जाकर आदेश जैर अपील दिनांक 15-06-2005 निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18-06-2004 यथावत् बहाल रखा जावे।

5- विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि चक 15 जोगीवाला में मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 11 ता 14, 16 ता 18, 19 की 10 बिस्वा 20 की 19 बिस्वा, 24 की 2 बिस्वा 25 की 5 बिस्वा कुल 9 बीघा 4 बिस्वा व मुरब्बा नम्बर 39 के किला नम्बर 20 की 1 बीघा, 21 की 4 बिस्वा कुल 1 बीघा 4बिस्वा इस प्रकार कुल 10 बीघा 8 बिस्वा नहरी एवं चक नम्बर 10 में मुरब्बा नम्बर 64 के किला नम्बर 11 की 13 बिस्वा, 15 की 1 बीघा, 16 की 16 बिस्वा कुल 2 बीघा 9 बिस्वा इस प्रकार दोनों चकों की कुल 12 बीघा 17 बिस्वा भूमि दिनांक 01-04-1971 आवंटन हुई। जिसका कब्जा हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 26-03-72 को वादी को दिया गया। चक 15 जोगीवाला के मुरब्बा नम्बर 38 व 39 के नये मुरब्बा नम्बर 41 व 42 में परिवर्तित होने के आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा उक्त भूमि की सनद भी वादी के नाम दिनांक 28-02-85 को जारी कर दी। उक्त अलोटसुदा भूमि पर वादी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। राजस्व अधिकारियों ने उक्त अलोटशुदा भूमि में से मुरब्बा नम्बर 38 नये 41 के किला नम्बर 13-14 की 2 बीघा भूमि दौराने भू-प्रबंध प्रतिवादीगण के नाम दर्ज किये जाने पर उक्त 2 बीघा भूमि प्रतिवादीगण के खाते से हटाकर अपने नाम दर्ज करने की घोषणा व दुरूस्ती बाबत् रेस्पोडेन्ट्/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (राजस्व) भादरा के समक्ष वादपत्र पेश किये जाने पर अपीलांट्/प्रतिवादी द्वारा काऊन्टर क्लेम पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपरोक्त तथ्यों की जांच किये बिना विधि विपरीत जाकर अपीलांट्/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम को स्वीकार करते हुए रेस्पोडेन्ट्/वादी का वादपत्र खारिज किया गया। जिससे व्यथित होकर रेस्पोडेन्ट्/वादी द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील

प्राधिकरी, हनुमानगढ़ के समक्ष अपील पेश की गई। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा वादपत्र पर आवश्यक तनकीयात् कायम करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व तथ्यों के आधार पर दिनांक 15-06-2005 को अपील स्वीकार करते हुए अपीलांट्/प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काऊन्टर क्लेम को खारिज किया गया। जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि कारित नहीं की गई है। अतः अपीलांट् उक्त द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का कोई अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होने से अपीलांट् की अपील अस्वीकार कर खारिज फरमाई जावे।

6- विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7- प्रस्तुत प्रकरण में पक्षकारों के मध्य मूल विवाद वादग्रस्त भूमि चक 15 जोगीवाला के मुरब्बा नम्बर 38 व 39 के नये मुरब्बा नम्बर 41 व 42 स्थापित होने के आधार पर वादी के नाम पूर्ववर्ती आवंटन के आधार पर दर्ज खातेदारी एवं इसी अनुरूप प्रतिवादीगण के नाम किला 13 व 14 भू-प्रबन्ध विभाग की जमाबंदी संवत् 2029 ता 2038 जिसमें प्रतिवादीगण के नाम बतौर खातेदार दर्ज रिकार्ड है, को लेकर रहा है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा वादी के वादपत्र को खारिज करते हुए प्रतिवादीगण के काऊन्टर क्लेम को स्वीकार किया गया है। इसके विपरीत प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय के अभिमत के विपरीत जाकर वादी के वादपत्र को स्वीकार करते हुए प्रतिवादीगण के काऊन्टर क्लेम को अस्वीकार किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री में भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये गये है। ऐसी स्थिति में मण्डल स्तर पर द्वितीय अपील के माध्यम से वादग्रस्त भूमि के बाबत् पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं परिशीलन किया जाना अपरिहार्य है।

8- प्रकरण में वादी/रेस्पोडेन्ट् के वादपत्र का मुख्य आधार आराजी जैर आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 01-04-1971 को आवंटित किये जाने एवं फिटिंग दुरूस्ती के दौरान चक 15 जोगीवाला के मुरब्बा नम्बर 38 के नये मुरब्बा नम्बर 41 एवं मुरब्बा नम्बर 39 के नये मुरब्बा नम्बर 42 परिवर्तित होने एवं इसी आधार पर जिला कलेक्टर द्वारा 28-02-1985 को खातेदारी सनद् जारी करने का रहा है। इसी प्रकार प्रकरण में दौराने वाद कार्यवाही अपीलांट्/प्रतिवादीगण द्वारा काऊन्टर क्लेम प्रस्तुत करते हुए आराजी जैर पर अपने अधिकारों के समर्थन में भू-प्रबन्ध विभाग की पर्चा खतौनी संवत् 2029-2038 पेश करते हुए

आराजी जैर का खातेदार काश्तकार होना अभिलिखित किया गया है। प्रकरण में जहां तक वादी/रेस्पोडेन्ट् को आवंटन का प्रश्न है? चक 15 जोगीवाला के मुरब्बा नम्बर 38 व 39 में भूमि आवंटित की गई थी तथा मुरब्बा नम्बर 38 के किला नम्बर 13 व 14 इसी आवंटित भूमि से संबंधित होने के संबंध में पत्रावली के साथ संलग्न जिलाधीश गंगानगर द्वारा जारी आवंटन आदेश क्रमांक सीबी-राजस्व/भू-आवंटन /भाखड़ा/मि0स 1/2809 दिनांक 01-04-2017 का अवलोकन किया गया। उक्त आवंटन आदेश से यह तथ्य स्पष्ट जाहिरहै कि वादी/रेस्पोडेन्ट् को वादग्रस्त भूमि राजस्थान कोलो0 (भाखरा प्रोजेक्ट राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्रय) (संशोधित) नियम 1971 की धारा 17(ए) के अन्तर्गत बतौर स्मालपेच कीमतन आवंटन की गई थी। इसी क्रम में जिला कलेक्टर, गंगानगर द्वारा दिनांक 28-02-1985 को आराजी जैर चक 15 जोगीवाला के मुरब्बा नम्बर 38 के नये मुरब्बा नम्बर 41 के किला नम्बर 11 ता 14 व 16 ता 18, 19, 20, 24 व 25 पैमूद हुए तथा मुरब्बा नम्बर 39 के नये मुरब्बा नम्बर 42 के किला नम्बर 20 व 21 पैमूद होना, अभिलिखित जाकर आराजी जैर के खातेदार अधिकार वादी/रेस्पोडेन्ट को प्रदान किये गये। इस प्रकार प्रकरण में जहां तक वादग्रस्त भूमि के आवंटन एवं कालान्तर में निर्धारित राशि खजानाराज जमा कराने के उपरान्त खातेदारी अधिकार वादी/रेस्पोडेन्ट् को प्रदान किये जाने का प्रश्न है? उक्त तथ्य की पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से होना जाहिर है।

9- प्रकरण में आराजी जैर के प्रतिवादीगण की खातेदारी का प्रश्न है? उक्त तथ्य के संबंध में प्रतिवादी द्वारा संवत् 2029 से 2038 की पर्चा खतौनी प्रदर्श-7 जोकि भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी की गई है, प्रस्तुत की गई है। इसी क्रम में संवत् 2029-2038 पर्चा खतौनी प्रदर्श-8 में वादी/रेस्पोडेन्ट् निरंजनलाल पुत्र रामचन्द्र को गैर खातेदार के रूप में दर्शित किया गया है, प्रस्तुत की गई है। उक्त दोनों इन्द्राज दौराने बन्दोबस्त भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा अंकित किये गये है। विचारणीय प्रश्न यह है कि उक्त दोनों दस्तावेज संवत् 2029-2038 अर्थात् वर्ष 1972-1982 से संबंधित है। जबकि वादी/रेस्पोडेन्ट का आवंटन वर्ष 1971 का रहा है। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा भू-प्रबन्ध विभाग के इन्द्राज से पूर्व के राजस्व दस्तावेज अपने कथनों के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किये गये है। जिससे यह जाहिर हो सके कि आराजी जैर पर उनके खातेदारी अधिकार भू-प्रबन्ध विभाग बन्दोबस्त की कार्यवाही से पूर्व ही रहे हो तथा उनके समर्थन में भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा खातेदारी का इन्द्राज उक्त पूर्ववर्ती इन्द्राज के रूप में दोहराया गया हो। भू-प्रबन्ध विभाग को केवल मात्र पूर्व के इन्द्राजात को दोहराने की शक्तियां ही प्राप्त है, किसी प्रकार के नवीन इन्द्राजात राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने

की शक्तियां भू-प्रबन्ध विभाग में निहित नहीं है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी वादग्रस्त भूमि के खातेदारी अधिकार उन्हें किस प्रकार अर्जित हुए है, को दस्तोवजी साक्ष्यों के माध्यम से प्रमाणित नहीं कर पाये है। प्रकरण में अन्य विचारणीय प्रश्न यह भी है कि प्रतिवादी जिनके द्वारा आराजी जैर के खातेदार होने का कथन किया जा रहा है, के द्वारा वादी/रेस्पोडेन्ट् के आवंटन एवं कालान्तर में प्रदत्त खातेदारी अधिकारों को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती देते हुए खारिज कराने की चैष्टा नहीं की गई है। प्रकरण में विचारण न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यों के विपरीत जाकर वादी का वाद खारिज करते हुए प्रतिवादीगण के काऊन्टर क्लेम को स्वीकार करने में विधिक एवं तथ्य संबंधी त्रुटि कारित की गई है। इसके विपरीत अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के अनुसरण में आराजी जैर के आवंटन/खातेदारी अधिकार एवं भू-प्रबन्ध विभाग को प्रदत्त शक्तियों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं परिशीलन करने उपरान्त वादी के वादपत्र को स्वीकार करते हुए प्रतिवादी के काऊन्टर क्लेम को विधि सम्मत तरीके से खारिज किया गया है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के आक्षेपित निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते है।

अतः आदेश है किः- अपीलांट्स की अपील खारिज की जाकर राजस्व अपील प्राधिकरी, हनुमानगढ का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 15-06-2005 यथावत् बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कमला अलारिया)
सदस्य

(आर0 डी0 मीणा)
सदस्य